निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 26/2021 तारीख दायरा 01.03.2021

उनवान

1. उत्सवसिंह आयु 33 साल पुत्र श्री हिम्मतसिंह जाति राजपूत।
2. रितिका कुमारी आयु 40 साल पुत्री श्री हिम्मतसिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम डाबरीकलां तहसील सांगोद जिला कोटा।

—वादी

बनाम

1. हिम्मतसिंह पुत्र श्री दर्जनसालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डाबरीकलां।
2. श्रीमती शालिनीसिंह पत्नी श्री हिम्मतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डाबरीकलां तहसील सांगोद जिला कोटा।
3. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

—प्रतिवादी

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी. एक्ट 1955</u>

उपस्थित :—

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील वादी) दिनांक :— 03.03.2021

श्री जयवर्द्धन गौतम (वकील प्रतिवादी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 13:45:51 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

वादीगण ने इस न्यायालय में एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी कं. 1 वादीगण के पिता व प्रतिवादी कं. 2 वादीगण की माता है तथा वादीगण व प्रतिवादी कं. 1, 2 एक ही परिवार के सदस्य हैं जो हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य हैं जिनका पारिवारिक शजरा निम्न प्रकार से है :—

हिम्मतसिंह पुत्र श्री दुर्जनसालसिंह

उत्सवसिंह	रितिका कुमारी	शालिनीसिंह
पुत्र	पुत्री	पत्नी

वादीगण ने वाद में यह भी अंकित किया कि वादीगण व प्रतिवादी कं. 1 लगायत 2 को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त खसरा नंबर 165 रकबा 0.86 हैक्टर, खसरा नंबर 166 रकबा 0.69 हैक्टर, खसरा नंबर 167 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा नंबर 225 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नंबर 229 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नंबर 230 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नंबर 231 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नंबर 232 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नंबर 233 रकबा 0.61 हैक्टर, खसरा नंबर 40 रकबा 1.15 हैक्टर, खसरा नंबर 41 रकबा 2.62 हैक्टर, खसरा नंबर 42 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नंबर 43 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नंबर 44 रकबा 1.81 हैक्टर, खसरा नंबर 45 रकबा 1.40 हैक्टर, खसरा नंबर 46 रकबा 3.25 हैक्टर, खसरा नंबर 47 रकबा 3.05 हैक्टर, खसरा नंबर 48 रकबा 0.25 हैक्टर कुल किता 18 की कुल 19.45 हैक्टर आराजी वाके ग्राम डाबरीकलां तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है। वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी कं. 1, 2 को अपने पूर्वजों से प्राप्त पुश्तैनी आराजी है जिसमें वादीगण को जन्मजात अधिकार प्राप्त होने से वादीगण को वादग्रस्त आराजी में अपने पिता प्रतिवादी कं. 1 व माता प्रतिवादी कं. 2 के साथ बांट–बराबर का हक अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी पैत्तृक आराजी होने से वादीगण व प्रतिवादी कं. 1, 2 प्रत्येक को कानूनन 1/4–1/4 हिस्सा का अधिकार प्राप्त है तथा वादीगण व प्रतिवादी कं. 1, 2 काफी वर्षों पूर्व से मौके पर 1/4–1/4 हिस्सा आराजी को काश्त भी करते चले आ रहे हैं किन्तु उ[illegible] मात्र प्रतिवादी कं. 1 के नाम से दर्ज रिकार्ड होने से वादीगण को [illegible] कृषि विकास कार्य करवाने में काफी परेशानी होती है। चूंकि वादग्रस्त [illegible] को प्रतिवादी कं. 1, 2 के साथ बांट–बराबर का जन्मजात अधिकार प्राप्त हैं किन्तु वादी [illegible]रा गत सप्ताह प्रतिवादी कं. 1 से उक्त संबंध में राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज दुरूस्त करवाकर वादीगण का नाम भी खाते में दर्ज करवाने की प्रार्थना की तो प्रतिवादी कं. 1 ने वादीगण का नाम खाते में दर्ज करवाने से मना कर दिया व शीघ्र ही सम्पूर्ण आराजी को खुर्दबुर्द करने की धमकी दी जिसमें यदि प्रतिवादी कं. 1 सफल हो जाता है तो वादीगण को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 13:45:51 IST
Reason: SelfAttested

था। वादग्रस्त आराजी माल ग्राम डाबरीकलां तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 165 रकबा 0.86 हैक्टर, खसरा नंबर 166 रकबा 0.69 हैक्टर, खसरा नंबर 167 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा नंबर 225 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नंबर 229 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नंबर 230 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नंबर 231 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नंबर 232 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नंबर 233 रकबा 0.61 हैक्टर, खसरा नंबर 40 रकबा 1.15 हैक्टर, खसरा नंबर 41 रकबा 2.62 हैक्टर, खसरा नंबर 42 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नंबर 43 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नंबर 44 रकबा 1.81 हैक्टर, खसरा नंबर 45 रकबा 1.40 हैक्टर, खसरा नंबर 46 रकबा 3.25 हैक्टर, खसरा नंबर 47 रकबा 3.05 हैक्टर, खसरा नंबर 48 रकबा 0.25 हैक्टर कुल किता 18 की कुल 19.45 हैक्टर पुश्तैनी आराजी का वादीगण व प्रतिवादी कं. 1, 2 को प्रत्येक को बांट–बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें तथा वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी कं. 1 किसी प्रकार से खुर्दबुर्द, रहन, विकय, दान व अन्य प्रकार से हस्तान्तरण न करें तथा वादी के शान्तिपूर्ण कब्जेकाश्त से वादीगण को जबरन बैदखल नहीं करें। उक्त कृत्य न तो प्रतिवादी कं. 1 स्वयं करें न ही अपने नौकरों, एजेन्टों से करावें।

वादपत्र प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। तलबी करने के उपरान्त प्रतिवादी कं. 1, 2 ने उपस्थित होकर जवाबदावा इकबाली प्रस्तुत कर दावा वादी डिकी करने में सहमति व्यक्त की। साथ ही पत्रावली पर वादीगण व प्रतिवादी कं. 1, 2 का लिखित राजीनामा भी पेश हुआ। राजीनामा न्यायालय में पढकर सुनाया गया तथा राजीनामा तस्दीक किया गया। वादीगण की पहचान वकील वादी द्वारा तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील प्रतिवादी द्वारा की गई। पक्षकारान राजीनामे अनुसार दावा डिकी करने को सहमत हैं।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, राजीनामा, इकबाली जवाब दावा इत्यादि का अवलोकन करने पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 13:45:51 IST
Reason: SelfAttested

माल ग्राम डाबरीकलां तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 165 रकबा 0.86 हैक्टर, खसरा नंबर 166 रकबा 0.69 हैक्टर, खसरा नंबर 167 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा नंबर 225 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नंबर 229 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नंबर 230 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नंबर 231 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नंबर 232 रकबा 0.60 ... रकबा 1.15 हैक्टर, खसरा नंबर 41

सरा नंबर 44 रकबा 1.81 हैक्टर, खसरा नंबर 45 रकबा 1.40 हैक्टर, खसरा नंबर 46 रकबा 25 हैक्टर, खसरा नंबर 47 रकबा 3.05 हैक्टर, खसरा नंबर 48 रकबा 0.25 हैक्टर कुल किता 8 की कुल 19.45 हैक्टर आराजी का वादीगण व प्रतिवादी कं. 1, 2 को बांट–बराबर का अर्थात प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुकम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिकी पर्चा पृथक से जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
(अंजना सहरावत)
सांगोद जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 13:45:51 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(अंजना सहरावत)
सांगोद जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी सांगोद